



## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०/22/दशम्-2/Scholarship/2024-11313

दिनांक: 16/01/2024

प्रेषक :

सचिव,  
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,  
धर्मशाला (कांगड़ा)-176213

प्रेषित:

समस्त  
प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,  
रा०व०मा०/रा०उ०/सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालय,  
हि०प्र०।

विषय:-

परीक्षार्थियों की Category/Sub-Category में शुद्धि बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा विनियमन के नियम 14.2 के उपनियम 14.2.3 के अनुसार अंतिम मैरिट सूची जारी होने से पहले ही Category/Sub-category में बदलाव किया जा सकता है, उसके उपरान्त छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की Category/Sub-category में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती है।

सरकार द्वारा प्रति वर्ष Category के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिसकी Category wise list Annual परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्यता हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को भेजी जाती है। परंतु ऐसा ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की Category/Sub-Category Registration के समय सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा गलत दर्शाई जाती है तथा उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती है जिस कारण बहुत से मेधावी परीक्षार्थी, सरकार द्वारा Category के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं।

अतः प्रदेश के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें की सत्र मार्च-2024 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा से सम्बन्धित यदि किसी परीक्षार्थी की Category/Sub-Category में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो तो उसकी शुद्धि हेतु अंतिम मैरिट सूची जारी होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में पत्र व्यवहार कर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें। अंतिम मैरिट सूची जारी होने के उपरांत नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु किसी भी परीक्षार्थी की Category/Sub-Category में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी। इसके संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए जिलावार निम्नलिखित दूरभाष न० पर संपर्क कर सकते हैं:-

Sr.No.	Name of Branch	District	Phone Number
1	Matric-1	Bilaspur/Chamba/Hamirpur	01892-242148
2	Matric-II	Kangra (A to R)	01892-242149
3	Matric-III	Kinnaur/Lahaul & Spiti/ Shimla/Sirmour	01892-242119
4	Matric-IV	Kangra (S to Z)/Mandi	01892-242151
5	Maric-V	Kullu/Solan/Una	01892-242128

इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी गलत Category के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का होगा।

इसे अतिआवश्यक समझें।

सचिव  
हि० प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड  
धर्मशाला